न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
18 / 2024	18.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. रूप लाल पुत्र श्री भागीरथ बलाई आयु वयस्क निवासी– हलेड़
2. काली पुत्री श्री भागीरथ बलाई आयु वयस्क निवासी– हलेड़
3. पानी पुत्री श्री भागीरथ बलाई आयु वयस्क निवासी– हलेड़
4. रामू पत्नी श्री भागीरथ बलाई आयु वयस्क निवासी– हलेड़
5. कंकू पुत्री श्री नाराण बलाई आयु वयस्क निवासी– हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र श्री अमरचन्द जाट आयु वयस्क निवासी हलेड़
2. भंवर पुत्र श्री हीरा जाट आयु वयस्क निवासी– हलेड़
3. बालू लाल ढोली पुत्र श्री कल्याण ढोली आयु वयस्क निवासी हलेड़
4. सीता देवी पत्नी श्री सुरेश जाट आयु वयस्क निवासी– हलेड
5. राजेश पुत्र श्री भवाना जाट आयु वयस्क निवासी हलेड़
6. सुरेश पुत्र श्री रामलाल जाट आयु वयस्क निवासी – हलेड़
7. कैलाश पुत्र श्री ऊंकार जाट आयु वयस्क निवासी– हलेड़
8. जगदीश पुत्र श्री मांगी लाल जाट आयु वयस्क निवासी– हलेड़
9. जमना पुत्र श्री छोगा जाट आयु वयस्क निवासी– हलेड़
10. बद्री पुत्र श्री गणेश जाट आयु वयस्क निवासी– हलेड़
11. मुनीर मोहम्मद पुत्र श्री चांदू पीनारा मुसलमान आयु वयस्क निवासी– हलेड़
12. गनी मोहम्मद पुत्र श्री अलानूर पीनारा मुसलमान आयु वयस्क निवासी– हलेड़
13. अम्बा लाल पुत्र श्री मांगू बलाई आयु वयस्क निवासी हलेड़
14. अम्बा लाल पुत्र श्री परसा जाट आयु वयस्क निवासी हलेड़
15. लक्ष्मण पुत्र श्री कन्हैया लाल आचार्य आयु वयस्क निवासी हलेड़
16. समता देवी पत्नी श्री मनीष कुमार आचार्य आयु वयस्क निवासी– हलेड़
17. सत्तार मोहम्मद पुत्र श्री अहमद पीनारा मुसलमान आयु वयस्क निवासी– हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री सम्पत लाल रेगर आयु वयस्क निवासी सौलकी टॉकीज के पीछे, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी शोभागमल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हलेड़ प0ह0 हलेड़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 829 की अभिलिखित आराजियात 2020, 2039, 2040 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8472 हैक्टयर व खाता संख्या 69 आराजी संख्या 2218 रकबा 2.1497 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड़ प0ह0 हलेड़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 829 की अभिलिखित आराजियात 2020, 2039, 2040 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8472 हैक्टयर व खाता संख्या 69 आराजी संख्या 2218

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 2.1497 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(अ[illegible]नाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा